

**FORM No. III****फर्द अहकाम**

(नियम 26)

APP-A  
Crim-I

18

जिलत..... उपरपुर अदिकारी..... मुकाम..... कोय  
..... 2 मेशलपुर..... बनाम..... इंदरपाल  
मुकदमा..... 183 R.T..... नं. 174..... सन् 01


| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|---|
| 8/5/26     | <p>पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 वास्ते पेश हुई। वादी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर निवदेन किया गया है कि ग्राम नयाखेडा तहसील लाडपुरा में वादी के खाते में खसरा नं0 30 की 0.28 है0 भूमि स्थित है। वादी की उक्त भूमि के दक्षिण में राष्ट्रीय राज मार्ग 12 कोटा-जयपुर रोड है तथा पश्चिम में गिरधरपुरा लिंक रोड है। प्रतिवादी गत 5-7 वर्षों से वादी की भूमि के पास आम रास्ते की भूमि में एक चाय की होटल लगाता चला आ रहा है। प्रतिवादी धीरे धीरे वादी की भूमि के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर कब्जा करने के प्रयास में रहता है। पहले भी प्रतिवादी ने वादी की उक्त भूमि पर कब्जा किया था जिस पर वादी ने पुलिस में कार्यवाही की तो पुलिस कुन्हाडी ने प्रतिवादी को बुला कर समझा दिया, जिस पर प्रतिवादी ने वादी की भूमि खाली कर दी। वादी अभी मई 2000 में कोटा आया तो वादी ने देखा कि प्रतिवादी ने वादी के खसरा नं0 30 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर करीब 1 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर कच्ची झोपडी बना कर उसमें चाय की दुकान लगाने लगा ली है और अपने मवेशी भी वहां बांधने लग गया है। इस पर वादी के भाई जितेन्द्र भण्डारी से वादी की उक्त भूमि की निशानदेही के सम्बंध में कहा और इस हेतु तहसील में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया जिस पर दिनांक 15.6.2000 को पटवारी हल्का प्रताप जी ने मौके पर नाप कर निशादेही की, जिससे यह ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीग ने वादी की उक्त भूमि के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर लगभग 1 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। प्रतिवादी का विवादित भूमि खसरा नं0 30 से किसी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं है। प्रतिवादी अतिक्रमी है जिसने वादी की अनुपस्थिति में उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतः प्रार्थना पत्र है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि ग्राम नयाखेडा तहसील लाडपुरा की खसरा नं0 30 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर प्रतिवादी द्वारा किया गया अतिक्रमण लगभग 1 बिस्वा भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा दिलाया जावे।</p> |   |

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त आराजी 2011 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अन्य को वादी बेच चुका है और कब्जा भी संभला चुका है इसलिये वादी का अब कोई वाद कारण शेष नहीं रहा है इसलिये वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादी का जिस आराजी पर कब्जा था, उसी आराजी को उसने विक्रय किया है और कब्जा खरीददार को संभला दिया है, जिसने उक्त आराजी पर ढोला मारु होटल संचालित कर रखा है, और जिसमें खरीदशुदा आराजी पर बाउन्ड्रीवाल भी रखा है और जिसमें खरीदशुदा आराजी पर बाउन्ड्रीवाल भी बना रखी है। इस प्रकार न तो वादी को कोई वाद कारण कभी उत्पन्न हुआ था और भूमि को विक्रय करने के बाद उसका किसी प्रकार का वाद कारण शेष भी नहीं रहा है इसलिये वादा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश होने पर बहस उभयपक्ष की ओर से सुनी गई।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चूंकि वादी की ओर से वादग्रस्त आराजी का बेचान किया गया जा चुका है एवं उक्त आराजी पर वर्तमान में होटल संचालित है जिस कारण से वर्तमान में वादी को हस्तगत वाद पत्र के लिए वाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है। वादकारण के अभाव में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक: 18/5/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
(गजेन्द्र सिंह)  
R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटा